

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

इन्दिरा सर्किल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर

क्रमांक / जविप्रा / व.उ.वि. / 2024-25 / डी- 286

दिनांक: 26/06/2024

बिड आमंत्रण सूचना

बिड संख्या- व.उ.वि. / 2024-25 / 13

जयपुर विकास प्राधिकरण वरिष्ठ उद्यानविज्ञ में "Maintenance of Jawahar Circle outer ring and Bajri mandi roads area with 1 year maintenance." कार्य जिसकी लागत **रु. 35.90 लाख** के लिए दिनांक **08.07.2024** सांय **6:00 बजे** तक ऑन लाईन निविदा आमंत्रित की जाती हैं। विस्तृत विवरण, जो कि निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है, अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अथवा राजस्थान सरकार के उपापन पोर्टल **www.sppp.raj.nic.in** व **www.eproc.rajasthan.gov.in** एवं जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाईट **www.jda.urban.rajasthan.gov.in** पर देखी जा सकती है।
(UBN No. JDA2425WSOB000)

निविदादाता को निविदा में भाग लेने हेतु आवश्यक है कि :-

1. जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाईट **www.jda.urban.rajasthan.gov.in** पर पंजीकृत हो। निविदा शुल्क व आर.आई.एस.एल. प्रक्रिया शुल्क केवल ऑन लाईन ही देय होगी। बोली प्रतिभूति ऑनलाईन अथवा बैंक गारन्टी के द्वारा दी जा सकती है।
2. ऑन लाईन निविदा में भाग लेने हेतु राजस्थान सरकार के पोर्टल **www.eproc.rajasthan.gov.in** पर पंजीकृत हो।


वरिष्ठ उद्यानविज्ञ
जविप्रा, जयपुर।

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

Room No. JB-FF-115, Ram Kishore Vyas Bhavan, Indira Circle, Jawahar Lal Nehru Marg,
Jaipur - 302004

Telephone: +91-141-2569696 e.mail: horticulturecell@gmail.com

No:- JDA/Sr. Horti./2024-25/D- 286

Dated: 26/06/2024

NOTICE INVITING BID

Sr. Horti./2024-25/NIB-13

Online Bids are invited upto 6.00 PM of 08.07.2024 or "Maintenance of Jawahar Circle outer ring and Bajri mandi roads area with 1 year maintenance." Estimated cost Rs. 35.90 Lacs. Details may be seen in the Bidding Document at our office or the website of State Public Procurement Portal: www.sppp.rajasthan.gov.in, www.eproc.rajasthan.gov.in and www.jda.urban.rajasthan.gov.in

(UBN No. JDA2425WSOB000)

To participate in the bid, bidder has to be:

1. Registered on JDA website www.jda.urban.rajasthan.gov.in. For participating in the Bid, the Bidder has to apply for the Bid and pay the Bidding Document Fee & RISL Processing Fee online only and Bid Security declaration stamp.
2. Registered on e-Procurement Portal of Government of Rajasthan www.eproc.rajasthan.gov.in for online e-Bid submission.


(N.S. Shekhawat)
Sr. Horticulturist
JDA, Jaipur

OFFICE OF THE JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, JAIPUR

NIB No.-Sr. Horti./2024-25/NIB-13	
Name & Address of the Procuring Entity	➤ Name: Sr. Horticulturist, Jaipur Development Authority ➤ Address: Room No. NB-SF-205, IIIrd Floor, Bank Building, Ram Kishore Vyas Bhavan, Indira Circle, Jawahar Lal Nehru Marg, Jaipur – 302004 (Rajasthan) ➤ Email: horticulturecell@gmail.com
Name of work	➤ Maintenance of Jawahar Circle outer ring and Bajri mandi roads area with 1 year maintenance.
Bid Procedure	➤ Single-stage Two part open competitive eBid procedure at http://eproc.rajasthan.gov.in
Bid Evaluation Criteria (Selection Method)	➤ L1 [Like Least Cost Based Selection (LCBS)-L1]
Websites for downloading Bidding Document, Corrigendum's, Addendums, etc.	➤ Websites: www.sppp.rajasthan.gov.in , www.eproc.rajasthan.gov.in , www.jda.urban.rajasthan.gov.in
Estimated Procurement Cost	➤ INR 35.90 Lacs
Website for online Bid application and payment *	➤ Website: www.jda.urban.rajasthan.gov.in ➤ For participating in the Bid, the Bidder has to apply for this Bid and pay the Bidding Document Fee, RISL Processing Fee and Bid Security Deposit, online only. ○ Bidding document fee: Rs. 500/- ○ RISL Processing Fee: Rs. 500/- ○ Requisite Bid Security Deposit. ○ The Bidders are required to submit Bid security, cost of Bidding documents, and Bid processing fees through online payment after registering with JDA on www.jaipurjda.org/e-services/e-tender portal. There should be a gap of 3 working days between the End date for Bid Applying, Online Payment & Bid Submission and Bid Opening date. In the absence of the requisite fee, the bid of the concerned bidder will be considered as non-responsive and shall be liable for rejection
Bid Security Deposit (in favor of Secretary, JDA, Jaipur)	➤ Amount (INR: 2% For A & AA class contractors registered in the appropriate class with CPWD, Postal, Telegram, Railway, MES, Other State Government/Central Government undertakings/organizations of Estimated Procurement Cost. (The bidder must capable to bid in the bid as per their enlistment) ➤ 0.5 % for Bidder registered as a contractor in the appropriate class in JDA. ➤ In case of Departments of the State Government and undertakings, Corporations, Autonomous bodies, Registered Societies, Cooperative Societies which are owned or controlled or managed by the State Government and Government undertakings of the Central Government shall submit a bid securing declaration in lieu of bid security. ➤ If a joint Venture is allowed in the Bid then 2% shall be deposited by bidders (Joint Venture firm)
Start/ End Date for Bid Applying Bid and making Online Payment on JDA portal*	➤ Start Date: 28.06.2024 ➤ End Date: 08.07.2024 upto 6.00 PM ➤ In case EMD in form BG Original Bank Guarantee is to be submitted in Room No NB-SF-204, IIIrd Floor, Bank Building, Ram Kishore Vyas Bhawan, Indira Circle, Jawahar Lal Nehru Marg, Jaipur – 302004

	(Rajasthan) by 09.07.2024 from 9.30 AM to 11.07.2024 up to 3.00 PM (within three working days from the last date of submission of bid.)
Bid Submission on e-Procurement Portal of GOR**	➤ Start Date: 28.06.2024 ➤ End Date: 08.07.2024 upto 6.00 PM
Date/Time/Place of pre-Bid	➤ N/A
Date/ Time/ Place of Technical Bid Opening	➤ 12.07.2024 at 11.00 AM ➤ NB-SF-204, IIIrd Floor, Bank Building, Ram Kishore Vyas Bhawan, Indira Circle, Jawahar Lal Nehru Marg, Jaipur – 302004 (Rajasthan)
Date/ Time/ Place of Financial Bid Opening	N/A
Bid Validity	➤ 120 days from the bid submission deadline
Time Period	➤ 12 month
A&F/Job No.	➤ 032/2024-25

Procedure for bidding:

Single part bid system:

Single part (Two-envelope) (2 docket) system would be adopted, Docket-1 being for Documents and Docket-2 being for Financial Bid.

Docket-1:- is for proof of deposition of Bid Security, cost of bidding document and bid processing fee along with copy of GST registration, signed Annexure "B", copy of enlistment as contractor/ bidder in required category and Bid document duly signed with eligibility criteria like work experience, essential machinery related documents.

Docket-2:- is for financial bid.

The financial bid will be opened only for bidders whose proper Bid Security, copy of GST registration, proof for deposition of bidding document fee, RISL processing fee, copy of enlistment of contractor in the required category and signed Annexure "B" and Bid document duly signed with eligibility criteria like work experience, essential machinery, Stock and related documents are found to be in order. Bid Security will be accepted only in the form of online deposition or in the form of Bank Guarantee.

1. Two part bid system:

Two part (Two-envelope) (2 docket) system would be adopted, Docket-1 being for Technical Bid and Docket-2 being for Financial Bid.

Docket-1:- There will be three separate folders- Folder-1 is for proof of deposition of Bid Security, cost of bidding document and bid processing fee alongwith copy of GST registration, signed Annexure "B" and copy of enlistment as contractor/ bidder in required category. Folder-II is for bid document and folder-III is for technical bid.

Docket-2:- There will two separate folders-1 is for financial bid and 2 is for bill of quantities.

The technical bid will be opened only for bidders whose proper Bid Security, copy of GST registration, proof for deposition of bidding document fee, RISL processing fee, copy of enlistment of contractor in the required category and signed Annexure "B" are found to be in order. Bid Security will be accepted only in the form of online deposition or in the form of Bank Guarantee

SCHEDULE AND SPECIFICATIONS

SCHEDULE – A: INFORMATION USEFUL FOR THE CONTRACTORS:

The bidder should see the site and fully understand the conditions of the site before bidding and include all leads, lift etc for the material in his item rate/percentage to be quoted on the rates given in Schedule 'G'. The work shall be carried out in accordance with the Rajasthan PWD detailed specification and to the entire satisfaction of the Engineer – In – Charge of the work.

SCHEDULE – B: LIST OF THE DRAWING TO BE SUPPLIED BY THE DEPARTMENT

The drawing may be seen in the office of the undersigned.

SCHEDULE – C: LIST OF THE DRAWING TO BE SUPPLIED BY THE CONTRACTOR: List of the drawing to be supplied by the contractor NIL. But the contractor shall have to arrange at his own cost drawings required for the work after deposition necessary cost with JDA.

SCHEDULE - D: TEST OF THE MATERIALS:

The test of the materials and workmanship shall be conducted by the JDA staff as necessary. The result of such tests should confirm to the standards laid down in the Indian standard & or the standards laid down in the detailed specifications of the work by the contractor. Qualified personnel required as per the contractor enlistment rules shall have to be engaged at site by the Contractor. The authority reserves the right to engage such staff and recover the expenses from the contractor on such account in case of his failure to do so.

SCHEDULE – E: SAMPLES OF THE MATERIALS:

The sample of the materials to be used by the contractor shall be deposited 15 days in advance with the Engineer In charge and be got approved by him before use.

SCHEDULE - F: TIME OF COMPLETION:

The work should start within 10 days of the issue of the work order and complete within time limits.

SCHEDULE – G: ATTACHED SEPARATELY BASED ON APPLICABLE BSRs IN JDA.

SCHEDULE – H: SPECIAL CONDITION: Attached Separately.

SCHEDULE – I: COST OF TENDER DOCUMENTS, PROCESSING FEES & BID SECURITY.

The Bid Processing fee is payable in favor of M.D. RISL & Cost of bid document & Bid Security is payable in Favour of the Secretary, JDA, Jaipur. Bidders have to pay bid processing fees, cost of bidding documents, and Bid Security Online. If a bidder opts to deposit the bid security through bank guarantee, the bank guarantee should be valid for the next seven months after the bid opening date. A copy of the such bank guarantee will be required to be attached with the bid submission documents uploaded on the E-procurement portal of GOR. The bank guarantee will be

physically handed over upto prescribed time to Nodal officer of the on-line tendering system of JDA i.e. D.D(E&B) in room No. 215N Extension building, JDA, JLN marg, Jaipur, as per specified in bidding documents,

Annexure-1. Special Conditions of Contract regarding defect liability period.

Annexure-2A. Bank guarantee will be in specified Performa enclosed with this bidding document for Bid Security.

Annexure-2B. Bank guarantee will be in specified Performa enclosed with this bidding document for Performance Security.

Annexure-A. Compliance with the code of integrity and no conflict of interest (RTPP Act/Rules).

Annexure-B. Declaration by the bidder regarding qualifications (RTPP Act/Rules).

Annexure-C. Grievance Redressal during the procurement process (RTPP Act/Rules).

Annexure-D. Additional Conditions of Contract (RTPP Act/Rules).

Annexure-E. Process for Tender Participation & Depositing Payment on 'Online Tender _ Participation' Portal of JDA & Bid Submission on 'e-Procurement Portal' of Government of Rajasthan.


Sr. Horticulturist
JDA, Jaipur

SPECIAL CONDITIONS

SCHEDULE 'H'

01. If there is any typographical error or otherwise in the 'G' Schedule, the rates given in the relevant BSR on which Schedule 'G' has been prepared, shall prevail.
02. The bidder shall follow the provisions of the builder labour regulation and abolition Act, 1970 & Rule, 1971.
03. The JDA shall have the right to cause an audit for technical examination of the work and the final bills of the bidder including all supporting vouchers, abstracts etc. to be made within two years after payment of the final bills and if as a result of such audit, any amount is found to have been overpaid / excess in respect of any work done by the bidder under the contract or any work claimed by him to have been done under this contract and found not to have been executed, the bidder shall be liable to refund such amount and it shall be lawful for the JDA to recover the such sum from him in the manner prescribed in special condition no. 8 or any other manner legally permissible and if it is found that the bidder was paid less than that was due to him under the contract in respect of work executed by him under it, the amount of such underpayment shall be paid by the JDA to the bidder.
4. Wherever any claim against the bidder for the payment of a sum of money arises out of under the contracts, the JDA shall be entitled to recover the sum by appropriating in part or whole of the performance security of the bidder, In the event of the security being insufficient or if no security has been taken from the bidder then the balance of the total sum recoverable as the case may be deducted from any sum then due or which at any time their contract with the JDA should this sum be sufficient to recover the full amount recoverable. The bidder shall pay to JDA on demand the balance remaining due. The JDA shall further have the right to affect such recoveries under P.D.R. Act.
5. The rate quoted by the bidder shall remain valid for a period of 120 days from the date of opening of the bids.
6. By submission of the Bid the bidder agrees to abide by all printed conditions provided in the PWD manual from 64 (Chapter 3-para 36) and subsequent modification.
7. No conditions are to be added by the bidder and the conditional Bid is liable to be rejected.
8. If any bidder withdraws his Bid prior to the expiry of said validity period given at S. No. 5 or mutually extended prior or makes modifications in the rate, terms and conditions of the Bid within the said period which are not acceptable to the authority or fails to commence the work in the specified period, fails to execute the agreement the authority shall without prejudice to any, other right or remedy, be at liberty to forfeit the amount of bid security given in any form absolutely. If any bidder, who has submitted a Bid does not execute the agreement or start the work or does not complete the work and the work has to be put to rebidding he will stand debarred for six months from participating of Bidding in JDA in addition to forfeiture of bid security/ Performance Security and other action under agreement
9. Any material not conforming to the specifications collected at the site have to be removed by the bidder within a period of 3 days of the instruction, issued by the Engineer -In charge in writing failing which, such material shall be removed by the Engineer-In charge at risk and cost of the bidder after the expiry of 3 days period.
10. The material collected at the site and paid provisionally shall remain under the watch and ward of the bidder till it is consumed fully on the work.
11. The rates provided in the Bidding documents are inclusive of all Taxes and royalties otherwise specified.
12. No extra lead of earth/material shall be paid over and above as specified in 'G' Schedule, Source/ borrow pit area for the earth shall have to be arranged by the Bidder at his own cost.
13. Undersigned has full right to reject any or all Bids without giving any reasons.
14. As per the Supreme Court decision "All contracts with Governments shall require registration of workers under the building and other construction workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 and extension of benefits to such workers under the etc."



15. Special Conditions of the Contract regarding the Defect Liability Period (DLP) for works costing Rs. 25.00 lacs and more shall be applicable (Annexure-I).
16. The Bidder is required to submit a copy of their enlistment as a contractor.
17. Conditions of RPWA-100 will be mandatory & acceptable to the bidder.
18. The bidder will have to install display boards at the site of work as directed by Engineer in charge.
19. All the provisions of THE RAJASTHAN TRANSPARENCY IN PUBLIC PROCUREMENT ACT, 2012 and Rules, 2013 and amendments issued from time to time by the Finance Department, GOR shall be applicable. If there are any contradictions in existing special conditions and provisions of THE RAJASTHAN TRANSPARENCY IN PUBLIC PROCUREMENT ACT, 2012 and Rules 2013 provisions of THE RAJASTHAN TRANSPARENCY IN PUBLIC PROCUREMENT ACT, 2012 and Rules 2013 shall prevail.
20. In case the rate received in the bid is below than BSR rate, additional Performance security shall be deposited by the bidder as per Rule 75 (A) of RTPP Rules.
21. The Annexure "B" (RTPP Act/Rules) is mandatory to be fulfilled & signed with seal by the bidder failing which the bid shall summarily be rejected without asking for any clarification.
22. Contractors enlisted in JDA, should be get reviewed periodically. The registered bidder who has not been reviewed within a period of 5 years 3 months, shall not be allowed to participate in the bid. Contractors enlisted in other departments shall be as per the provision of PWF&AR


Sr. Horticulturist
JDA, Jaipur

Specified Bank Guarantee Performa for Bid Security

Section - 6

Form of (Bank Guarantee) -En cashable at the branch of the bank in Jaipur City.

To

Secretary, Jaipur Development Authority, Jaipur

Sub:

Bank Guarantee No. _____ dated _____ for [amount of Security in figures] [in words] on behalf of _____ [Name of the Bidder] against Bid Security for the.....J

DA Jaipur WHEREAS, _____ [name of Bidder with address] (hereinafter called "the Bidder") has submitted his Bid dated for the work of(here in after called " the Bid ").

KNOW ALL PEOPLE by these presents that we _____

_____ (Name of Bank) of having our registered office at _____ [name of country] having our registered office at _____ (hereinafter called "the Bank") are bound unto Secretary, Jaipur Development Authority. (Hereinafter called "the Employer") in the sum of Rupees _____ [Amount of Security in figures] _____ (in words) only for which payment will and truly to be made to the said Employer, the Bank binds itself, its successors, and assigns by these presents.

That on demand of JDA , this Bank Guarantee is cashable at the following branch in Jaipur City.

1. Name of Bank:

2. Name of the branch with branch code:

3. Address:

4. E-Mail Id:

5. Telephone No.

6. Fax No.:

SEALED with the Common Seal of the said Bank this _____ day of _____ of 20____.

THE CONDITIONS of this obligation are:

- (1) if the Bidder withdraws his Bid during the period of Bid validity specified in the Form of Bid;
- (2) if the Bidder refuses to accept the correction of errors in his bid;
- (3) If the Bidder, having been notified of the acceptance of his Bid by the Employer during the period of Bid validity;
 - (a) _____ fails or refuses to execute the Form of Agreement in accordance with the Instructions to Bidders, or
 - (b) _____ fails or refuses to furnish the Performance Security, in accordance with the Instructions to Bidders;

We undertake to pay to the Employer up to the above amount upon receipt of his first written demand, without the Employer having to substantiate his demand, provided that in his demand the Employer will note that the amount claimed by him is due to him owing to the occurrence of one or more of the above conditions, specifying the occurred condition or conditions.

This Guarantee will remain in force up to and including the date 30 days after the date of expiration of the Bid Validity, as stated in the Instructions to Bidders, or any such extension thereto as may be agreed by the Bidder, a notice of which extension(s) to the Bank is hereby waived. Any demand in respect of this Guarantee should reach the Bank no later than the above date.

The amount covered under the above Bank Guarantee shall be automatically credited in the accounts of JDA in ICICI Bank, JDA Campus, Jaipur through **ISFC code No ICIC0006754. Bank Account No. 675401700518** on the date of expiry or its validity, unless the agencies get it re-validated well before its expiry date or produce NOC from JDA in writing for its release.

Date _____ Signature of the Bank _____

Witness _____ Seal _____

[Signature, Name, and Address]

[Note: To be furnished on appropriate non-judicial stamps & should be valid for the next 7 months from the bid opening date]



Specified Bank Guarantee Performa for Performance Security**Section - 6****Form of (Bank Guarantee) -En cashable at the branch of the bank in Jaipur City.**

To

Secretary, Jaipur Development Authority, Jaipur

Sub:.....

Bank Guarantee No. _____ dated _____ for [amount of Security in figures] [in words] on behalf of _____ [Name of the Bidder] against Performance Security for the.....JDA Jaipur

WHEREAS, _____ [name of Bidder with address] (hereinafter called "the Bidder") has submitted his Bid dated _____ for the work of _____(herein after called " the Bid ").

KNOW ALL PEOPLE by these presents that we _____

_____ (Name of Bank) of having our registered office at _____[name of country] having our registered office at _____ (hereinafter called "the Bank") are bound unto Secretary, Jaipur Development Authority. (Hereinafter called "the Employer") in the sum of Rupees _____ [Amount of Security in figures] _____ (in words) only for which payment will and truly to be made to the said Employer, the Bank binds itself, its successors, and assigns by these presents.

That on demand of JDA, this Bank Guarantee is cashable at the following branch in Jaipur City.

1. Name of Bank:
2. Name of the branch with branch code:
3. Address:
4. E-Mail Id:
5. Telephone No.
6. Fax No.:

SEALED with the Common Seal of the said Bank this _____ day of _____ of 20____.

We undertake to pay to the Employer up to the above amount upon receipt of his first written demand within valid period of this guarantee.

This Guarantee will remain in force up to and including the date 30 days after the date of expiration of the Bid Validity, as stated in the Instructions to Bidders, or any such extension thereto as may be agreed by the Bidder, a notice of which extension(s) to the Bank is hereby waived. Any demand in respect of this Guarantee should reach the Bank no later than the above date.

The amount covered under the above Bank Guarantee shall be automatically credited to the accounts of JDA in ICICI Bank, JDA Campus, Jaipur through ISFC code No ICIC0006754. Bank Account No. 675401700518 on the date of expiry or its validity, unless the agencies get it re-validated well before its expiry date or produce NOC from JDA in writing for its release.

Date _____ Signature of the Bank _____

Witness _____ Seal _____

[Signature, Name and Address]

[Note: To be furnished on appropriate non-judicial stamps.]


Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

- (a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in the procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) Not indulge in any collusion, Bid-rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) Not misuse any information shared between the procuring entity and the bidders with an intent to gain an unfair advantage in the procurement process;
- (e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) Disclose conflict of interest, if any; and
- (h) Disclose any previous transgressions with any entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of interest:

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

A bidder may be considered to be in conflict of interest with one or more parties in the bidding process if, including but not limited to:

- (a) Have controlling partners/shareholders in common; or
- (b) Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
- (c) Have the same legal representative for purposes of the bid; or
- (d) have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the bid of another bidder, or influence the decisions of the procuring Entity regarding the bidding process; or
- (e) The bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation by a bidder in more than one bid will result in the disqualification of all bids in which the bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a bidder, in more than one bid; or
- (f) the bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the goods, works or services that are the subject of the Bid; or
- (g) Bidder or any of its affiliates has been hired (or proposed to be hired) by the procuring entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

13

Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted tofor procurement of
.....
in response to their Notice inviting Bids No.....Dated.....I/wehereby
declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entry;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the union and the state government or any local authority as specified in the Bidding Document.
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offense related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:

Signature of the bidder

Place:

Name:

Designation:

Address:

Note:- Annexure "B" is mandatory to be fulfilled & signed with seal by the bidder failing which the bid shall summarily be rejected without asking any clarification.



Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority :

For works costing up to Rs. 300.00Lakhs - Jaipur Development Commissioner, JDA, Jaipur.
For works costing above Rs. 300.00Lakhs - Executive Committee, JDA, Jaipur.

The designation and address of the Second Appellate Authority:

For works costing up to Rs. 300.00Lakhs - Executive Committee, JDA, Jaipur.
For works costing above Rs. 300.00Lakhs - Principle Secretary/ACS, Urban Development & Housing Department, GOR, Jaipur.

(1) Filing an appeal: -

if any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring entity is in contravention to the provisions of the Act or the rules or the guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate authority, as specified in the Bidding document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which, he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a bidder as successful the appeal may be filed only by a bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a procuring entity evaluates the technical bids before the opening of the financial bids, an appeal related to the matter of financial bids may be filed only by a bidder whose technical bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the bidder or prospective bidder or the procuring entity is aggrieved by the order passed by the first appellate authority, the bidder or prospective bidder or the procuring entity, as the case may be, may file a second appeal to the second appellate authority specified in the bidding document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the first appellate authority, as the case may be.

(4) Appeals not to lie in certain cases: -

No appeal shall lie against any decision of the procuring entity relating to the following matters, namely: -

- (a) Determination of the need of procurement
- (b) Provisions limiting the participation of bidders in the bid process
- (c) The decision of whether or not to enter into negotiations
- (d) Cancellation of a procurement process
- (e) Applicability of the provisions of confidentiality

(5) Form of Appeals: -

- (a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, Affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee,



- (c) Every appeal may be presented to the first appellate authority or second
The appellate authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6) Fee for filing Appeal: -

- (a) Fee for the first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for the second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of a bank demand draft or banker's cheque of a scheduled bank in India payable in the name of the appellate authority concerned.

(7) Procedure for disposal of Appeal: -

- (a) The first appellate authority or second appellate authority as the case may be, upon the filing of the appeal, shall issue notice accompanied by a copy of the appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix a date of hearing
- (b) On the date fixed for hearing, the first appellate authority of the second appellate authority, as the case may be shall-
- (i) Hear all the parties appeal presenting before him; and
- (ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the appellate authority concerned shall pass an order in writing and provide a copy of the order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the state public procurement portal.



Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a financial bid is substantially responsive, the procuring entity will correct arithmetical errors during the evaluation of financial Bids on the following basis:

- (i) if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected unless in the opinion of the procuring entity, there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- (ii) if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- (iii) if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated bid does not accept the correction of errors, its bid shall be disqualified and its bid security shall be forfeited or its bid securing declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary quantities.

- (i) At the time of award of the contract, the quantity of goods, works or services originally specified in the bidding documents may be increased or decreased, by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed fifty percent, of the quantity specified in the bidding documents. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the bid and the conditions of the contract.
- (ii) If the Procuring entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the bidding document due to change circumstances, the bidder shall not be entitled to any claim or compensation except otherwise provided in the conditions of the contract.
- (iii) In case of procurement of goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of the last supply. If the supplier fails to do so, the procuring entity shall be free to arrange for the balance supply by limited bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.

3. Dividing quantities among more than one bidder at the time of award (In case of procurement of Goods):-

As a general rule, all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, then in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidder in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

2

Process for Tender Participation & Depositing Payment on 'Online Tender Participation' Portal of JDA & Bid Submission on 'e-Procurement Portal' of Government of Rajasthan: -

A*Process for Tender Participation & Depositing Payment on 'Online Tender Participation' Portal of JDA

1-Participate in tender

- a) Bidder can access 'Online Tender Participation' Portal of JDA at <https://jda.urban.rajasthan.gov.in/jda> or by Single-Sign-On at <http://service.jaipurjda.org>.
- b) Create user Login with a valid mobile number to register yourself for various Online Services of JDA.
- c) Select 'Proceed as Citizen' and then 'Proceed for Subscription' for 'Tender Online Payment'. The prevailing plan for getting registered for tendering process of JDA is Rs. 500.00 with a validity period of 3 Years (renewable).
- d) After successful payment, re-login and upload required documents for KYC (Know Your Client) compliance as per the type of entity viz. Individuals/ Company/ Partnership Firms/ Trusts & foundations. Besides, Bank Passbook / Cancelled Cheque consisting of Bank Account, IFSC Code is mandatory to be uploaded, to refund the bid security of unsuccessful bidder.
- e) After receiving the payment successfully and approving KYC documents the bidder will be authenticated by JDA for taking part in Tender.

2-Deposit Tender Fee, RISL processing fee and Bid Security (EMD)

- **Option-1:** Payment Gateway (Aggregator)
The facility to make payment through Debit Card, Credit Card, Net banking etc., will be available. User can use this facility from anywhere any time till the closing date & time of bid participation.
- **Option-2:** Electronic Fund Transfer (EFT: NEFT/RTGS)
If the bidder selects payment mode as EFT (NEFT/RTGS), "Paying Slip for EFT (NEFT/RTGS)" will be generated by the system for the complete amount. The payment can be made from any Bank any Branch using this Paying Slip through NEFT/RTGS (Claim against payment made through EFT in any other JDA bank account will not be acceptable and bidder stands disqualified from participation in the bid applied for). After successful transaction through NEFT/RTGS, as per the standard procedures it may take 4 to 24 hours in process of confirmation of EFT through Auto-Process depending on the time of EFT done. Therefore, option to make payment through EFT (NEFT/RTGS) will be available till 48 hours prior to closing date of bid participation.

3-Deposit Bid Security (EMD)

The Bid Security (EMD) can be submitted through Bank Guarantee (BG). Bidder may opt Bank Guarantee (BG) against Bid Security (EMD), for which bidder requires to prepare BG before applying in the tender. The detail of BG requires to be fed on 'Online Tender Participation' Portal of JDA before paying balance amount (Tender Fee + RISL Processing Fee). This balance amount will be paid through Payment Gateway only, option to make balance payment through EFT (RTGS/NEFT) will not be available.

4-Obtain Bid Participation Receipt

After confirming payment, the bidder will get Bid Participation Receipt based on which user will get the payment details along with other details for bidding on e-Procurement portal of GOR.

- In case of BG as the remaining payment will be done through Payment Gateway, on successful transaction the 'Bid Participation Receipt' will be generated on real time basis.
- In case complete payment is done through Payment Gateway, on successful transaction the 'Bid Participation Receipt' will be generated on real time basis.
- In case complete payment is done through EFT (NEFT/RTGS), on confirmation of payment from ICICI Bank (Auto Process) 'Bid Participation Receipt' will be available on Login of Bidder on JDA portal.

B-**Bid Submission on 'e-Procurement Portal' of Government of Rajasthan

- 1- Online e-Bid can be submitted after registration at e-Procurement Portal of Government of Rajasthan www.eproc.rajasthan.gov.in

- 2- It is mandatory to upload Bid Participation Receipt with the bid submission.
- 3- Details of online payment available on Tender Participation Portal of JDA have to be filled in 'offline payment' section of e-Procurement portal.

Note

- 1- Bidder (authorized signatory) shall submit their offer on-line in electronic formats both for technical and financial proposal.
- 2- In case, any of the bidders fails to pay the Tender Fee, BSD, and RISL Processing Fee, online (subject to confirmation), its Bid shall not be accepted.
- 3- To participate in online bidding process, Bidders must procure a Digital Signature Certificate (Type III) as per Information Technology Act-2000 using which they can digitally sign their electronic bids. Bidders can procure the same from any CCA approved certifying agency, i.e., TCS, Safe crypt, n Code etc. Bidders who already have a valid Digital Signature Certificate (DSC) need not procure a new DSC. Also, bidders must register on <http://eproc.rajasthan.gov.in> (bidders already registered on <http://eproc.rajasthan.gov.in> before 30-09-2011 must register again).
- 4- JDA will not be responsible for delay in online submission due to any reason. For this, bidders are requested to upload the complete bid well advance in time so as to avoid 11th hour issues like slow speed; choking of web site due to heavy load or any other unforeseen problems.
- 5- Bidders are also advised to refer "Bidders Manual Kit" available at e-Proc website for further details about the e-Tendering process.
- 6- Training for the bidders on the usage of e-Tendering System (eProcurement) is also being arranged by DoIT&C, GoR on a regular basis. Bidders interested in training may contact e-Procurement Cell, DoIT&C for booking the training slot.

Contact No: 0141-4022688 (Help desk 10 am to 6 pm on all working days) e-mail: eproc@rajasthan.gov.in

Address: e-Procurement Cell, JDA, Yojana Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur

- 7- The procuring entity reserves the complete right to cancel the bid process and reject any or all of the Bids.
- 8- No contractual obligation whatsoever shall arise from the bidding document/ bidding process unless and until a formal contract is signed and executed between the procuring entity and the successful bidder.
- 9- Procurement entity disclaims any factual/ or other errors in the bidding document (the onus is purely on the individual bidders to verify such information) and the information provided therein are intended only to help the bidders to prepare a logical bid-proposal.
- 10- The provisions of RTPPA Act 2012 and Rules thereto shall be applicable for this procurement. Furthermore, in case of any inconsistency in any of the provisions of this bidding document with the RTPPA Act 2012 and Rules thereto, the later shall prevail.

3

Jaipur Development Authority, Jaipur.	
Bid Participation Receipt	
	Date & Time:-
Bid Detail	
Bid ID:	Procurement Entity:-
Bid Title:	
Bid Value:	Bid Opening Place:
Bidder Detail	
Name of Entity:	Mobile No.:
Registration Type:	Instrument Amount:
Payment Mode:	Payment Channel:
Instrument No.:	Instrument Date:

Dates Detail		
Sr. No.	Event Name	Event Date
1	Publishing Date	
2	Bid Opening Date	

Specific Instrument for e-Proc Rajasthan			
Instrument Type			
Instrument Number	Head Name	Amount	Date
	Tender Fee		
	RISL Processing Fee		
	Bid Security Deposit		
Issuer Detail: Jaipur Development Authority		Challan Number:	

More details about Registration Process, Terms and Conditions and FAQ along with contact detail is available on JDA website www.jda.urban.rajasthan.gov.in.

प्राधिकरण मे उद्यानिकी अनुभाग में निविदा हेतु बोलीदाता की योग्यताएँ एवं सामान्य शर्तें :-

A. तकनीकी योग्यतायें :-

क्रं. सं.	तकनीकी योग्यताएँ	वांछित प्रपत्र/दस्तावेज
1.	बोलीदाता के पास आयकर विभाग का पैन नम्बर होना आवश्यक है।	पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी है।
2.	फर्म/स्वामी/साझेदार का G.S.T. पंजीयन होना आवश्यक है।	G.S.T. पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी है।

नोट :- उक्त तकनीकी योग्यताओं को पूर्ण करने वाले एवं निविदा प्रपत्र मय संलग्नक A,B,C,D हस्ताक्षरित प्रस्तुत करने वाले बोलीदाताओं की ही वित्तीय बोलियाँ खोली जावेगी।

B. बोलीदाता को निर्देश :-

1. बोलियाँ ऑनलाईन ई-उपापन के माध्यम से एकल पद्धति (दो-भाग) से वित्तीय बिड प्राप्त की जावेगी।
2. सफल बोलीदाता/अनुबन्धकर्ता द्वारा अनुबन्ध को किसी अन्य फर्म को सबलेट नहीं किया जा सकेगा।
3. सशर्त बोलियाँ अस्वीकार्य होगी।
4. सफल बोलीदाता को निविदा स्वीकार करने का पत्र जारी होने के सात दिवस नियमानुसार राशि के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।
5. अनुबंध की अवधि 12 माह होगी, जिसे राजस्थान उपापन पारदर्शिता नियमों के अनुसार उन्ही शर्तों, दरों एवं निबंधनों पर नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है।
6. संविदा अवधि मे सफल बोलीदाता एवं जविप्रा के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो आयुक्त, जविप्रा का निर्णय अन्तिम होगा।
7. सभी प्रकार के कानूनी वाद जयपुर स्थित न्यायालयों मे ही प्रस्तुत किये जा सकेगें।
8. अनुबन्ध अवधि के दौरान कार्य की दरें स्थिर रहेगी। इनमे किसी प्रकार की वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी। दरों मे कमी के सम्बन्ध मे राजस्थान उपापन मे पारदर्शिता नियम-2013 का नियम 29 (2-ज) प्रभावी होगा।



c. अन्य शर्तें/अनुदेश :-

1. राजस्थान उपापन पारदर्शिता नियम-2013 प्रावधानों के तहत इस बोली के साथ अनुलग्नक-A, B & D बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर कर प्रेषित किया जाना अनिवार्य है। एक्ट की धारा-38 के अनुसार अपील करने पर अनुलग्नक-C एवं फार्म संख्या-1 भरकर एवं हस्ताक्षरित कर प्रक्रियानुसार सक्षम अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।
2. राजस्थान उपापन पारदर्शिता अधिनियम-2012 की धारा-38 के तहत कोई भी बोलीदाता अथवा भावी बोलीदाता जिसे यह प्रतीत होता है, कि इस बोली का कोई प्रावधान या कृत्य इस अधिनियम के प्रतिकूल है, तो वह प्रथम अपील अधिकारी आयुक्त, जविप्रा, जयपुर, के समक्ष अपील कर सकता है। साथ ही समान उद्देश्य (अपील) के लिए प्रावधान अनुसार द्वितीय अपील अधिकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा नामांकित अधिकारी होंगे। (अपील प्रारूप अनुलग्नक-C एवं फार्म-1 के रूप में संलग्न है)।
3. अधिनियम में वर्णित अनुसार प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष अपील करने हेतु निर्धारित फीस रूपयें 2500/- है, जो अपीलकर्ता को अपील के साथ बैंक ड्राफ्ट के रूप में (जो सचिव, जविप्रा, जयपुर के नाम देय हो) संलग्न करनी होगी। द्वितीय अपील अधिकारी के समक्ष अपील करने हेतु फीस राशि 10000/-रूपयें निर्धारित है। उक्त फीस अप्रतिदेय होगी।
4. बोलीदाताओं को राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 के नियम 80(2) में वर्णित सत्यनिष्ठा संहिता का पालन करना होगा।
5. किसी भी बोलीदाता द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 के नियम 81(3) में वर्णित हित का विरोध की स्थिति में नहीं होना चाहिए। इस सम्बन्ध में संलग्न Annexure-A पर हस्ताक्षर कर बोली के साथ प्रस्तुत करना होगा।
6. बोलीदाता को संलग्न Annexure-B के अनुसार एक घोषणा पत्र बोली के साथ सादा कागज पर प्रस्तुत करना होगा।
7. राजस्थान उपापन में पारदर्शिता अधिनियम-2012 एवं नियम-2013, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में वर्णित प्रावधान एवं राज्य सरकार एवं प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले दिशा-निर्देश/आदेश जो इस बोली हेतु प्रासंगिक हो जविप्रा एवं सफल बोलीदाता द्वारा मान्य एवं बाध्यकारी होंगे।
8. सफल बोलीदाता को नियमानुसार कार्य-सम्पादन प्रतिभूति राशि बोली स्वीकार किये जाने की तिथि से 7 दिवस के भीतर जमा करानी होगी।
9. किसी भी बोली अथवा पूर्ण बोली प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार सचिव, जविप्रा को होगा।
10. सफल निविदादाता को बीएसआर दर से कम दर की अंतर की कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के साथ इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि निविदा में उल्लेखित ट्रेक्टर टैंकर/ट्राली का उपयोग किसी अन्य कार्यादेश में नहीं लिया जावेगा।
11. संवेदक को जी शिड्यूल एवं संलग्न सूची में दर्ज निर्धारित प्रजाति, मापदण्ड एवं मात्रानुसार लगाये जाने वाले समस्त प्रकार के पेड़-पौधों का स्टॉक कार्यादेश जारी करने से पूर्व स्वयं की नर्सरी में उपलब्ध करना होगा, जिसका प्रमाणीकरण उद्यानिकी शाखा के अधिकारियों द्वारा किया जायेगा।



12. संवेदक को कार्य स्थल पर विकास कार्य जोन प्रभारी/कार्य प्रभारी की निगरानी में करना होगा।
13. निविदा में असंतुलित बोली उद्धृत करने पर कार्य सम्पादन प्रतिभूति के अतिरिक्त राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 75 (क) के प्रावधानानुसार अतिरिक्त कार्यसम्पादन प्रतिभूति राशि ली जावेगी।



बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाम:—.....

पता:—.....

मोबाइल/दूरभाष:—.....

तकनीकी निविदा हेतु आवश्यक दस्तावेज

निविदा की शर्तों के अनुसार मांगी गई मशीनरी का विवरण निम्नानुसार है :-

(2.14 हैक्टर क्षेत्र)

क्र. सं.	मशीन/उपकरण का नाम	Specification	मांगी गई संख्या	ईंजन नं.	चेचिस नं.
1	लॉन काटने की मशीन (Ride on grass cutter/ mower)	Engine power-Minimum 20 HP/ Minimum 700 cc Minimum Deck Width 42"-46"	1	आवश्यक	आवश्यक
2	ब्रश कटर (पैट्रोल चलित)	Engine power-Minimum 1 HP/ Minimum 20 cc	3	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं
3	हैज कटर/ट्रीमर (पैट्रोल चलित)	Engine power – Minimum 0.75 HP/ Minimum 20 cc	2	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं
4	बड़े पेड़ों की कंटाई-छंगाई मशीन (Trimmer & Pruner for Big trees/Pole pruner/ telescopic Chainsaw) मशीन (श्रमिक जिससे भूमि पर खड़ा रहकर कम से कम 5 मीटर ऊंचाई के पेड़ों की कंटाई-छंगाई कर सके)	Engine power Minimum 1.25 HP/ Minimum 25 cc length 4 mtr.	1	आवश्यक	आवश्यक नहीं
5	सूखी टहनियों व पत्तों से खाद बनाने की मशीन Chipper/Shredder (पैट्रोल चलित)	Engine Displacement- Minimum 200 cc	1	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं
6	8 रैनगन एवं 20 पाइपों का एक स्पिंकलर सैट प्रति पांच हैक्टर तक		8 रैनगन एवं 20 पाइप मय स्पिंकलर सैट	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं
7	कचरा निस्तारण हेतु एक हाथ रिक्शा/ई-रिक्शा प्रति पांच हैक्टर तक		1	आवश्यक नहीं	आवश्यक
8	ट्रेक्टर मय ट्रौली/टैंकर (संवेदक के नाम रजिस्ट्रेशन एवं बीमा संबंधी सभी दस्तावेजों की प्रतियां निविदा के साथ संलग्न करने होंगे)		1	आवश्यक	आवश्यक

(नोट :- निविदा समिति द्वारा उक्त उपकरणों का भौतिक सत्यापन भी किया जावेगा।)



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जविप्रा क्षेत्र में पार्कों का विकास एवं संधारण कार्यों की नियम एवं शर्तें

अ. पात्रता :-

1. अन्य राजकीय विभागों/बोर्डों/निगमों/प्राधिकरणों में उद्यानिकी श्रेणी 'ए' एवं 'एए' में पंजीकृत एवं जयपुर विकास प्राधिकरण में प्राधिकरण के आदेश क्रमांक जविप्रा/तसनिअ-1/2014-15/डी-753 दिनांक 16.02.15 के अनुसार उद्यानिकी कार्यों (Horticulture work) हेतु निम्नानुसार निर्धारित श्रेणी में पंजीकृत संवेदक ही निविदा में भाग लेने के पात्र होंगे।

श्रेणी	कार्य की अनुमानित लागत राशि
H-I	कोई सीमा नहीं
H-II	रु. 100 लाख तक के कार्यों के लिये
H-III	रु. 50 लाख तक के कार्यों के लिये
H-IV	रु. 30 लाख तक के कार्यों के लिये

2. संवेदक/फर्म द्वारा पिछले पाँच वर्षों में राज्य सरकार/निगम/राजकीय कार्यालय/निगम/परिषद/विकास प्राधिकरण आदि संस्थानों में उद्यान/पार्क का विकास एवं संधारण कार्यों के लिए 30.00 लाख रु. से अधिक की निविदा में निविदा राशि के 50 प्रतिशत राशि का निविदा जारी दिनांक से पांच वर्ष पूर्व की अवधि में एकल कार्यादेश के अंतर्गत संतोषप्रद कार्य पूर्ण किया होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

3. पार्क में विकास एवं संधारण हेतु एक ट्रैक्टर मय ट्रॉली/टैंकर की आवश्यकता होगी जिसमें स्वयं के नाम के रजिस्ट्रेशन एवं बीमा संबंधी सभी दस्तावेजों की प्रति निविदा के साथ संलग्न करने होंगे।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

स्वचालित मशीनरी पार्क में रखना आवश्यक होगा, जो जारी निविदा की दिनांक से पांच वर्ष से अधिक पुरानी नहीं हों -

1. लॉन काटने की मशीन (Ride on grass cutter)

2. ब्रश कटर न्यूनतम तीन
3. हैज कटर न्यूनतम दो
4. बड़े पेड़ों की कंटाई-छंगाई (Trimmer & Pruner) मशीन
5. सूखी टहनियों व पत्तों से खाद बनाने की मशीन
6. 8 रैनगन एवं 20 पाइपों का एक स्पिंकलर सैट प्रति पांच हैक्टर तक
7. कचरा निस्तारण हेतु एक हाथ रिक्शा/ई-रिक्शा प्रति पांच हैक्टर तक

उक्तानुसार उक्त मशीनरी के स्वामित्व प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करने आवश्यक होंगे।

ब:- विकास कार्य बाबत -

1. पार्क में लगाये जाने वाले पौधों की आपूर्ति संवेदक द्वारा की जावेगी। संवेदक द्वारा लगाया जाने वाला पौधा स्वस्थ, बीमारी रहित होना चाहिये तथा पौधा "जी" शिड्यूल में निर्धारित ऊँचाई से कम नहीं होना चाहिये। पौधों की ऊँचाई कॉलर हाइट से नापी जावेगी।
2. संवेदक को जी शिड्यूल एवं संलग्न सूची में दर्ज निर्धारित प्रजाति, मापदण्ड एवं मात्रानुसार लगाये जाने वाले समस्त प्रकार के पेड़-पौधों का स्टॉक कार्यादेश जारी होने की दिनांक से 10 दिवस के अंदर-अंदर स्वयं की नर्सरी में उपलब्ध करना होगा, जिसका प्रमाणीकरण उद्यानिकी शाखा के अधिकारियों द्वारा किया जायेगा।
3. विकास कार्य की शर्त सं. दो के अनुसार प्रमाणीकरण दौरान संवेदक की नर्सरी में लगाये जाने वाले पेड़-पौधों का स्टॉक निर्धारित प्रजाति, मापदण्ड एवं मात्रानुसार नहीं पाये जाने पर कार्यादेश निरस्त कर बैंक गारंटी जब्त कर द्वितीय न्यूनतम बोलीदाता को कार्यादेश दे दिया जावेगा।
4. उद्यानिकी शाखा के अधिकारियों द्वारा पौधों के स्टॉक का प्रमाणीकरण संतोषप्रद पाये जाने के उपरान्त ही तदनुसार संवेदक द्वारा कार्यस्थल पर पेड़-पौधे लगाये जायेंगे। संवेदक अपनी मनमर्जी से पेड़-पौधे नहीं लगायेगा। संवेदक द्वारा मनमर्जी से पेड़-पौधे लगा दिये जाते हैं तो संवेदक को उन्हें तीन दिवस में स्वयं को हटाना होगा तथा इन पेड़-पौधा के लिये किसी प्रकार का कोई भी भुगतान देय नहीं होगा।
5. **श्रमिक :-** पार्क संधारण हेतु प्रतिदिन न्यूनतम दो श्रमिक प्रति हैक्टर की दर से नियमित रूप से वर्दी मुहानकर कार्य करेंगे, जिनका हाजरी रजिस्टर संधारण करना संवेदक के लिए अनिवार्य होगा। इससे कम श्रमिक पाये जाने पर प्रतिदिन प्रति श्रमिक 500 रु. की पेनल्टी लगाई जावेगी। श्रमिक अधिनियम के प्रावधानों की पालना की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संवेदक की होगी।
6. विकास कार्यों के अन्तर्गत पार्क क्षेत्र में दूब लगाना, क्यारियां खोदना, पेड़ - पौधे एवं झाड़ियां लगाना, पौधों का परिवहन करना, दूब व क्यारियों में खाद देना, कीटनाशक दवाई का प्रयोग करना, साफ सफाई व दूब काटने का कार्य इत्यादि कार्य संवेदक द्वारा किया जावेगा।

डॉ. कविता सिंह, IFS
वन संरक्षक
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

7. पार्क क्षेत्र के समस्त विकास संबंधी कार्य पूर्ण होने के पश्चात् इस विकसित क्षेत्र की मात्रा को संधारण कार्य में निर्देशानुसार सम्मिलित किया जावेगा।
8. विकास संबंधी समस्त कार्य निर्धारित समय पर पूर्ण करना होगा। निर्धारित समय पर कार्य पूर्ण नहीं होने पर विभाग द्वारा नोटिस दिया जाकर किसी अन्य संवेदक से बीएसआर दर से कार्य करवा लिया जावेगा एवं विभाग द्वारा दी गई अतिरिक्त राशि संवेदक से वसूल की जा सकेगी एवं अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार एवं RTPP ACT 2012 एवं RTPP रूल्स 2013 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।
9. संवेदक को जी शिड्यूल में निर्धारित किस्म की दूबस्वयं के खर्चे पर खरीद कर लाकर निर्धारित स्थान पर लगानी होगी।
10. दूब लगाने से पूर्व उस क्षेत्र को समतल करना, विभाग द्वारा आपूर्तित मिट्टी फैलाना व माउन्डस बनाना, कंकर पत्थर हटाकर दांतली से साफ सफाई कर खाद मिलाकर दूब लगाने योग्य बनाना व दूब लगाने का कार्य करना होगा।
11. दूब लगाने के काम में ली जाने वाली गोबर की कम्पोस्ट खाद स्वयं संवेदक को निर्धारित मात्रा में खरीद कर डालनी होगी, जिसका भुगतान विभाग द्वारा G-Schedule के अनुसार देय होगा।
12. विकास संबंधी कार्य की मात्रा को आवश्यकतानुसार घटाया- बढ़ाया एवं आवश्यकता नहीं होने पर कार्य ही भी करवाया जा सकता है एवं आवश्यकता नहीं होने पर कार्य नहीं भी करवाया जा सकता है।

संधारण कार्य बाबत -

1. **कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति:-** पार्कों के रख-रखाव के आदेश जारी होने की दिनांक से सम्बन्धित कार्य प्रभारी से पार्क सम्भालने होंगे एवं जिसकी चार्ज रिपोर्ट की प्रतिलिपि कार्यालय में प्रस्तुत की जावेगी। उसी तरह अनुबन्ध की समाप्ति पर चार्ज पुनः कार्य प्रभारी को संवेदक द्वारा सम्भाला जाकर चार्ज रिपोर्ट की प्रतिलिपि पुनः प्रस्तुत करनी होगी ताकि तदनुसार उन्हें बकाया अंतिम भुगतान एवं नोड्यूल प्रमाण पत्र दिया जा सके।
2. **कार्य विवरण:-** संवेदक को संधारण संबंधी कार्य निम्न मापदंडानुसार करना आवश्यक होगा

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य संख्या
1.	लॉन क्षेत्र में एवं समस्त प्रकार के पेड़-पौधों में पानी देने का कार्य	प्रतिमाह 10 बार या आवश्यकतानुसार
2.	लॉन कटिंग करने का कार्य	प्रतिमाह दो बार या आवश्यकतानुसार
3.	लॉन एवं क्यारियो से खरपतवार निकालना	प्रतिमाहमें एक बार या आवश्यकतानुसार
4.	लॉन एवं क्यारियो में ऐज बनाने का कार्य	प्रतिमाह एक बार या आवश्यकतानुसार
5.	निर्देशानुसार क्यारिया खोदकर तैयार करना व पौधे लगाना	आवश्यकतानुसार

डॉ. कविता सिंह, 154
वन संरक्षक
जयपुर विकास प्राधिकरण

52

	अ. नये पेड पौधे लगाना ब. गमलों का संधारण, रंग करना, पोटींग व रिपोटींग करना। स. नये गमले भरना, पौधे लगाना एवं उनका संधारण करना	
6.	लॉन क्षेत्र के अतिरिक्त पार्क क्षेत्र में खरपतवार, कंकड़ पत्थर अलग कर सफाई कर समतल बनाना एवं थाँवले बनाने का कार्य	प्रतिमाह एक बार या आवश्यकतानुसार
7.	सम्पूर्ण पार्क क्षेत्र में समुचित सफाई, झाड़ू से सफाई करना, व कचरा निर्धारित स्थान पर डालना	नियमित रूप से रोजाना

3. **सुरक्षा:**—संवेदक को उद्यान संबंधी सामान की देख रेख अपने स्तर पर करनी होगी। विकास एवं संधारण के लिये संवेदक को सम्भलाये गये पार्क/उद्यान में लगी मशीनरी, गमलों में लगे पौधे, ट्यूबवेल से पानी की लाईन, रिग्रलर सिस्टम/हाइड्रेंट, पम्प सिस्टम आदि का रख रखाव एवं संचालन संवेदक को अपने स्तर पर करना होगा एवं पार्क की सुरक्षा व्यवस्था विभाग द्वारा उपलब्ध चौकीदारों से करवानी होगी। यदि किसी हाइड्रेंट अथवा नोजल आदि बदलने की आवश्यकता हो तो बदलना होगा जिसका कोई भुगतान देय नहीं होगा। पार्क में पीने के पानी की आपूर्ति 24 घंटे बनाये रखने की व्यवस्था संवेदक को अपने स्तर से करनी होगी जिसका अलग से कोई भुगतान देय नहीं होगा। उक्त सामान की टूट-फूट होने पर संवेदक द्वारा निर्धारित अवधि में क्षतिपूर्ति/मरम्मत नहीं की गई तो प्राधिकरण द्वारा कार्य कराकर वास्तविक व्यय की वसूली संवेदक से की जावेगी।

4. **पानी की व्यवस्था :-**पार्क में लगे सभी बोरिंग पम्प चलाने हेतु तकनीकी स्टाफ की व्यवस्था संवेदक को करनी होगी। मोटर पम्प जलने, खराब होने, मरम्मत व वायरिंग केबल इत्यादि का कार्य संवेदक को स्वयं के स्तर पर उसी दिन करना होगा एवं इस पर खर्च होने वाला समस्त भुगतान संवेदक को स्वयं के स्तर पर करना होगा, उसका पुनर्भरण जविप्रा द्वारा नहीं किया जावेगा। साथ ही जब तक मोटर पम्प ठीक नहीं हो जाता तब तक पार्क/उद्यान में पानी पिलाने की वैकल्पिक व्यवस्था संवेदक को करनी होगी, जिसका अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा। तीन दिवस में मोटर पम्प ठीक नहीं होने पर 500/- रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पेनल्टी लगाई जावेगी। यदि बोरिंग का जल स्तर नीचे चला जाता है तो आवश्यकतानुसार पाइप कट करके जोड़ने का, मोटर को निकालने व वापिस डालने का व्यय संवेदक को करना होगा जिसका पुनर्भरण प्राधिकरण द्वारा देय नहीं होगा। पार्क में लगे हाइड्रेंट, पाइप लाईन, बोरिंग पाइप व मोटर आदि उपकरण के पूर्ण रूप से

डॉ. कविता सिंह/वन संरक्षक/जयपुर विकास प्राधिकरण/सिविल/विद्युत शाखा के कार्य प्रभारियों द्वारा दी गई संयुक्त तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर होगी।

5. संवेदक को पार्क के विकास एवं संधारण कार्यों हेतु उपयोग में लिये जाने वाले फावड़े, खुरपी, गैंती, झारा, झाड़ू इत्यादि औजार आवश्यकतानुसार पर्याप्त मात्रा में रखने होंगे।
6. उद्यान में निर्देशानुसार पेड़-पौधे लगाना, उन्हें शिफ्ट करना, नये पौधे लगाना, गमलों का नियमित संधारण व नये गमले तैयार करना व उनका संधारण व पुनः रोपित (पोटिंग व रिपोटिंग) का कार्य संवेदक के श्रमिकों को करना होगा, जिसका अलग से कोई भुगतान देय नहीं होगा।
7. बिजली पानी के बिल:-संवेदक द्वारा पार्कों की लाईटों व बोरिंग के बिजली के बिल व पानी के बिल सम्बन्धित विभागों से प्राप्त कर समय पर भुगतान करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी तथा इसका पुर्नभरण प्राधिकरण द्वारा किया जावेगा। बिलों पर किसी भी प्रकार की पेनल्टी का पुनर्भरण प्राधिकरण द्वारा देय नहीं होगा। विद्युत की चोरी या विद्युत उपभोग निर्धारित लोड से ज्यादा होने पर हर्जाने के भुगतान का जुम्मा संवेदक का होगा एवं उसका पुर्नभरण प्राधिकरण द्वारा देय नहीं होगा।
8. निरीक्षण एवं भुगतान:-संवेदक द्वारा किये गये कार्य का इन्द्राज/प्रमाणीकरण कार्यप्रभारी द्वारा कार्य पंजिका में किया जायेगा एवं समय-समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा चेक किया जायेगा। कार्य में किसी प्रकार की कमी पाये जाने का इन्द्राज भी इसी पंजिका में होगा। कार्य का मासिक बिल भुगतान इन्ही इन्द्राजों के आधार पर होगा। विकास एवं संधारण कार्यों में कमी पाये जाने पर नहीं किये कार्यों की कटौति बिना टी. पी. काटकर वी.एस.आर. 2016 की दरों से दुगुनी दर से किया जावेगा।
9. पेड़-पौधों की छँटाई:- उद्यान क्षेत्र के बड़े पेड़-पौधों, हेज एवं झाड़ियों निर्देशानुसार कटाई-छँटाई कर उनको नगर निगम द्वारा निर्धारित स्थान पर डालना होगा। जिसका अलग से कोई भुगतान देय नहीं होगा। गार्डन के अन्दर कचरा, सूखे पत्ते इत्यादि दो दिवस से अधिक से अधिक समय पर इकट्ठा होने के बाद रुपये 1000.00 प्रतिदिन की पेनल्टी लगाई जावेगी।
10. सफाई:- पार्क क्षेत्र में लगी दूब एवं आंतरिक फुटपाथ की साफ-सफाई नियमित रूप से करनी होगी व किसी भी प्रकार का कूड़ा-कचरा, खरपतवार व अवांछित झाड़ियाँ नहीं पायी जानी चाहिये एवं निरन्तर संवेदक द्वारा अपने स्तर पर सफाई की जावेगी। इस प्रकार सम्पूर्ण क्षेत्र को साफ रखना होगा, सफाई का कार्य प्रतिदिन किया जाना आवश्यक होगा। पार्क क्षेत्र में किसी प्रकार का विज्ञापन नहीं होना चाहिए व अवांछित विज्ञापित होर्डिंग, विज्ञापन बोर्ड आदि को हटाने की जिम्मेदारी भी संवेदक की होगी। पार्क में किसी भी प्रकार की अवांछित गतिविधियों जैसे खेलकूद, खोमचे-ठेले लगाना एवं अन्य व्यापारिक गतिविधियों आदि को रोकने जिम्मेदारी स्वयं संवेदक की होगी।
11. पेड़ पौधों की क्षति:-पार्क में लगे हुए किसी भी प्रकार के पेड़-पौधे यदि संवेदक की लापरवाही से नष्ट हो जाते हैं तो मृत पौधों के स्थान पर उसी प्रजाति, मापदण्ड का पौधा संवेदक को अपने स्तर पर सातदिवस में लगाना होगा, जिसका अलग से कोई भुगतान नहीं दिया जायेगा।
12. खाद-उर्वरक:- उद्यानों के संधारण कार्य में संवेदक को वर्ष में दो बार सितम्बर व फरवरी माह में अच्छी डी. कविता सिंह, सडी गोबर/मिगनी/कम्पोस्ट की खाद व रासायनिक खाद डालनी होगी, जिसका अलग से कोई भुगतान जयपुर विकास प्राधिकरण देय नहीं होगा।

4/2/19

डॉ. कविता सिंह, सडी गोबर/मिगनी/कम्पोस्ट की खाद व रासायनिक खाद डालनी होगी, जिसका अलग से कोई भुगतान जयपुर विकास प्राधिकरण देय नहीं होगा।

3

13. **मौसमी फुलवारी:-** पार्क में मौसमी फुलवारी की निर्देशित किरमें सर्दी वाली फुलवारी माह शितम्बर, ग्रीष्मकालीन वाली फुलवारी माह मार्च व अप्रैल में एवं वर्षा कालीन वाली फुलवारी जून व जुलाई में लगानी होगी, जिसका भुगतान जी-शिडयूल के अनुसार देय होगा। अगर समय पर फुलवारी नहीं लगाई गई तो एक सप्ताह का नोटिस देने के पश्चात यह कार्य प्राधिकरण द्वारा किसी अन्य से कशकर लागत की वसूली बी.एस.आर 2016 की दुगुनी दरों से आंकलन कर संवेदक से की जावेगी।
14. पार्क में स्थित फव्वारे व लाइटों को चालू करने का कार्य संवेदक को स्वयं के स्तर पर तकनीकी स्टाफ से निर्देशानुसार समय पर करना होगा।
15. **दवाईयों का उपयोग:-** पेड़-पौधों में कीड़े एवं बीमारियों की रोकथाम के लिये निर्देशानुसार भली प्रकार से एंटीडर्माइट/इनसेक्टीसाईड/फंगीसाईड का छिड़काव करना होगा ऐसा नहीं करने पर एक नोटिस देने के पश्चात यह कार्य विभाग द्वारा करवा लिया जावेगा। किये गये कार्य का भुगतान संवेदक से दुगुनी दरों से वसूला जावेगा।
16. उद्यान के विकास एवं संधारण/सुरक्षा के बाबत श्रमिक/चौकीदार/जनता के साथ कोई हादसा हो जाता है तो उसके लिये संवेदक जिम्मेदार होगा।
17. अनुबन्ध के दौरान किसी भी समय पार्कों की संख्या/क्षेत्रफल बढ़ाने या घटाने के लिये प्राधिकरण अधिकृत होगा, जिसके लिये संवेदक को भुगतान अनुपातिक रूप से बढ़ाया/घटाया जा सकेगा।
18. संवेदक को पार्क खुलने व बन्द होने तक दो पारियों में एक एक सुपरवाईजर रखना होगा। सुपर वाईजर के पास शिकायत/सुझाव पुरस्तिका हमेशा उपलब्ध रहेगी, जिसमें घूमने वाले, जनता के प्रतिनिधि एवं प्राधिकरण के अधिकारी कोई शिकायत या सुझाव अंकित कर सकेंगे। शिकायत पंजिका में अंकित की गई शिकायतों का निराकरण संवेदक को दो दिवस के अन्दर आवश्यक रूप से करना होगा।
19. जी शिडयूल में अंकित बी.एस.आर./नॉन बीएसआर के आईटमों की मात्रा में RTPP ACT 2012 & RTPP Rule 2013 के प्रावधानों तक कटौती एवं बढ़ोतरी की जा सकती है।
20. निविदा में बीएसआर दर से कम दर डालने वाले संवेदक को नियमानुसार देय कार्य सम्पादन प्रतिभूति के अतिरिक्त बीएसआर दर से कम दर की अंतर राशि की सम्पूर्ण कार्य सम्पादन प्रतिभूति, मूल रूप से कार्य सम्पादन प्रतिभूति के अनुसार ही कार्य की अवधि हेतु निर्धारित प्रारूपों यथा बैंक गारंटी/बैंक ड्राफ्ट/FDR/NSC आदि में देनी होगी। न्यूनतम दर वाले बोलीदाता की बोली स्वीकृत कर Letter of Acceptance जारी किया जायेगा और तत्समय ही BSR दर से कम दर की अंतर राशि की कार्य सम्पादन की प्रतिभूति को प्रस्तुत करने हेतु नियमानुसार निर्धारित समय दिया जावेगा। निर्धारित समय में यह कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराने पर RTPP ACT/RULES 2012 & 13 के अनुसार कार्यवाही कर प्रतिभूति जब्त की जायेगी। यदि संवेदक अनुबंध के अनुसार कार्य प्रारंभ नहीं कर पाता है या पूर्ण नहीं करता है तो उक्त BID Security के साथ-साथ उसकी कार्य सम्पादन प्रतिभूति की अंतर राशि दोनों ही जब्त कर ली जायेगी। कार्य सम्पादन प्रतिभूति की अंतर राशि भी मूल कार्य सम्पादन प्रतिभूति की शर्तों के अनुसार ही कार्य संतोषजनक पूर्ण होने पर लौटाई जावेगी।
21. संवेदक के द्वारा अनुबंध एवं निविदा की शर्तों का उल्लंघन अथवा निम्न गुणवत्ता के कार्य कराये जाने पर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के साथ बीएसआर दर से कम दर की अंतर की कार्य सम्पादन प्रतिभूति भी जब्त कर संवेदक को एक वर्ष के लिए टेण्डर में भाग लेने से डी-बार किया जा सकेगा।

डॉ. कविता सिंह, IFS

वन संरक्षक

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

23. उक्त निविदा की नियम एवं शर्तों में वर्णित किसी शब्द या वाक्य के निर्वचन से सम्बन्धित विवाद के सम्बन्ध में जयपुर विकास आयुक्त द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
24. अघोहस्ताक्षरकर्ता को बिना कारण बताये निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
25. संवेदक कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना, श्रमिकों की सुरक्षा, न्यायिक विवाद, प्रोविडेन्ट फण्ड आदि के लिये श्रमिक अधिनियम अनुसार स्वयं जिम्मेदार होगा।

भुगतान की शर्त :-

1. संवेदक को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक बिल प्रस्तुत करने होंगे इसके पश्चात बिल प्रस्तुत करने पर 5 प्रतिशत, अगले माह में प्रस्तुत करने पर 10 प्रतिशत, द्वितीय माह में प्रस्तुत करने पर 15 प्रतिशत राशि पेनल्टी के रूप में काटी जावेगी तथा तीन माह पश्चात बिल प्रस्तुत किये जाने पर कोई भुगतान देय नहीं होगा।
2. संवेदक द्वारा साइट पर कराये गये कार्यों में से जो कार्य सन्तोषजनक एवं गुणवत्तानुसार नहीं पाये जायेंगे या विकास एवं संधारण कार्यों में कमी पाये जाने पर नहीं किये कार्यों के लिए बिना टी.पी. काटकर बी.एस. आर. 2016 की दरों से दुगुनी दर से पेनल्टी के रूप में वसूली जावेगी।
3. संवेदक को भुगतान किये जाने वाले बिलों में CGST/GST, आयकर, बिक्री कर एवं अन्य राशि की कटौती सरकार द्वारा समय-2 पर जारी नियमों के अनुसार देय होगी।
4. जमा की गई Performance security राशि उक्त ठेके के सफलतापूर्वक समाप्त होने के 3 माह पश्चात आवश्यक समायोजन, कटौति होने पर समायोजन करते हुये तत्पश्चात लौटाई जावेगी।

वरिष्ठ उद्योग विज्ञ
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

संवेदक के हस्ताक्षर
संवेदक का नाम व
पूर्ण पता मय दूरभाष नम्बर

डॉ. कविता सिंह, IAS
वन संरक्षक
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

पूर्व में विकसित रोड साइड/मीडियन/ग्रीनबेल्ट/तिकोने/सर्किलों के विकास एवं संधारण कार्यों के नियम एवं शर्तें

अ. पात्रता :-

1. अन्य राजकीय विभागों/बोर्डों/निगमों/प्राधिकरणों में उद्यानिकी श्रेणी 'ए' एवं 'एए' में पंजीकृत एवं जयपुर विकास प्राधिकरण में प्राधिकरण के आदेश क्रमांक जविप्रा/तसनिअ-1/2014-15/डी-753 दिनांक 16.02.15 के अनुसार उद्यानिकी कार्यों (Horticultural work) हेतु निम्नानुसार निर्धारित श्रेणी में पंजीकृत संवेदक ही निविदा में भाग लेने के पात्र होंगे।

श्रेणी	कार्य की अनुमानित लागत राशि
H-I	कोई सीमा नहीं
H-II	रु. 100 लाख तक के कार्यों के लिये
H-III	रु. 50 लाख तक के कार्यों के लिये
H-IV	रु. 30 लाख तक के कार्यों के लिये

2. संवेदक/फर्म द्वारा पिछले पाँच वर्षों में राज्य सरकार/निगम/राजकीय कार्यालय/निगम/परिषद/विकास प्राधिकरण आदि संस्थानों में रोड साइड/मीडियन/ग्रीनबेल्ट/तिकोने/सर्किलों के विकास एवं संधारण कार्यों के लिए 30.00 लाख रु. से अधिक की निविदा में निविदा राशि के 50 प्रतिशत राशि का निविदा दिनांक से पांच वर्ष पूर्व की अवधि में एकल कार्यदेश के अंतर्गत संतोषप्रद कार्य पूर्ण किया होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
3. संवेदक को रोड साइड के विकास एवं संधारण हेतु प्रति पांच किमी में एक ट्रैक्टर मय ट्रौली/ट्रैक्टर की मात्रा में उपलब्ध करवाने होंगे, जिसके स्वयं के नाम रजिस्ट्रेशन एवं बीमा संबंधी सभी दस्तावेजों की प्रतियाँ निविदा के साथ संलग्न करने होंगी।
4. रोड साइड/मीडियन/ग्रीनबेल्ट के संधारण हेतु कार्यदेश प्राप्त होते ही संवेदक को स्वयं के स्वामित्व प्रमाण पत्र की निम्नानुसार स्वचालित मशीनरी रखना आवश्यक होगा, जो पांच वर्ष से अधिक पुरानी नहीं

डॉ. कविता सिंह, ~~ई-5~~
वन संरक्षक लॉन कटने की मशीन न्यूनतम दो
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

2. ब्रश कटर न्यूनतम दो
3. हैज कटर न्यूनतम दो
4. बड़े पेड़ों की कंटाई-छंगाई (Trimmer & Pruner) मशीन एक

उक्तानुसार उक्त मशीनरी के स्वामित्व प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करने आवश्यक होंगे।

ब. विकास एवं संधारण की शर्तें :-

1. **कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति:-** साइट के विकास एवं संधारण के आदेश जारी होने की दिनांक से सम्बन्धित कार्य प्रभारी से पार्क सम्भालने होंगे एवं जिसकी चार्ज रिपोर्ट की प्रतिलिपि कार्यालय में प्रस्तुत की जावेगी। उसी तरह अनुबन्ध की समाप्ति पर चार्ज पुनः कार्य प्रभारी को संवेदक द्वारा सम्भाला जाकर चार्ज रिपोर्ट की प्रतिलिपि पुनः प्रस्तुत करनी होगी ताकि तदनुसार उन्हें बकाया अंतिम भुगतान एवं नोडयूज प्रमाण पत्र दिया जा सके।
2. साइट पर लगाये जाने वाले पौधों की आपूर्ति संवेदक द्वारा की जावेगी। संवेदक द्वारा लगाया जाने वाला पौधा स्वस्थ, बीमारी रहित होना चाहिये तथा पौधा "जी" शिड्यूल में निर्धारित ऊँचाई से कम नहीं होनी चाहिये। पौधों की ऊँचाई कॉलर हाइट से नापी जावेगी।
3. संवेदक को जी शिड्यूल एवं संलग्न सूची में दर्ज निर्धारित प्रजाति, मापदण्ड एवं मात्रानुसार लगाये जाने वाले समस्त प्रकार के पेड़-पौधों का स्टॉक कार्यादेश जारी होने की दिनांक से 10 दिवस के अंदर-अंदर स्वयं की नर्सरी में उपलब्ध करना होगा, जिसका प्रमाणीकरण उद्यानिकी शाखा के अधिकारियों द्वारा किया जायेगा।
4. विकास कार्य की शर्त सं. तीन के अनुसार प्रमाणीकरण दौरान संवेदक की नर्सरी में लगाये जाने वाले पेड़-पौधों का स्टॉक निर्धारित प्रजाति, मापदण्ड एवं मात्रानुसार नहीं पाये जाने पर कार्यादेश निरस्त कर द्वितीय न्यूनतम बोलीदाता को कार्यादेश दे दिया जावेगा।
5. उद्यानिकी शाखा के अधिकारियों द्वारा पौधों के स्टॉक का प्रमाणीकरण संतोषप्रद पाये जाने के उपरान्त ही तदनुसार संवेदक द्वारा कार्यस्थल पर पेड़-पौधे लगाये जायेंगे। संवेदक अपनी इच्छा से पेड़-पौधे नहीं लगायेगा। संवेदक द्वारा मनमर्जी से पेड़-पौधे लगा दिये जाते हैं तो संवेदक को उन्हें तीन दिवस में स्वयं को हटाना होगा तथा इन पेड़-पौधों के लिये किसी प्रकार का कोई भी भुगतान देय नहीं होगा।
6. विकास संबंधी समस्त कार्य निर्धारित समय पर पूर्ण करना होगा। निर्धारित समय पर कार्य पूर्ण नहीं होने पर विभाग द्वारा नोटिस दिया जाकर किसी अन्य संवेदक से बीएसआर दर से कार्य करवा लिया जावेगा एवं विभाग द्वारा दी गई अतिरिक्त राशि संवेदक से वसूल की जा सकेगी एवं अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार एवं RTTP ACT 2012 एवं RTTP रूल्स 2013 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।
7. पौधों की कटाई छंटाई पूरी रोड साइड, ग्रीनबेल्ट, मीडियन में एवं बाहर तथा आसपास की जंगली घास, खरपतवार, लेवलिंग, ड्रेसिंग इत्यादि की सफाई ठेकेदार को जी-शिड्यूल/कार्य प्रभारी के निर्देशानुसार करनी होगी।
8. **कार्य विवरण:-** संवेदक को संधारण संबंधी कार्य निम्न मापदंडानुसार करना आवश्यक होगा

क्र.स.	कार्य का नाम	वर्ष में कराये जाने वाले कार्य की मात्रा
1.	पौधों में पानी देने का कार्य 20 लीटर प्रति वार प्रति पौधा/30 लीटर प्रतिवार प्रति वर्गमीटर	प्रतिमाह 10 बार या आवश्यकतानुसार
2.	पौधों में खाद देने का कार्य	वर्ष में दो बार (सितम्बर व फरवरी में)

डॉ. कविता सिंह, IFS
वन संरक्षक
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

3.	कीटनाशक दवा का प्रयोग	आवश्यकतानुसार
4.	निराई-गुढाई कर थॉवला बनाना (20 लीटर पानी आने योग्य)	प्रतिमाह एक बार या आवश्यकतानुसार
5.	हैज कटिंग/ट्रिमिंग-पूनिंग	प्रतिमाह एक बार या आवश्यकतानुसार
6.	साफ-सफाई कार्य	आवश्यकतानुसार नियमित रूप से

9. विभाग द्वारा किसी अन्य रोड साइड वृक्षारोपण में आवश्यकता पड़ने पर इस कार्य की दरों एवं शर्तों के अन्तर्गत कार्य करवाया जा सकता है।
10. संधारण के दौरान यदि संवेदक की लापरवाही या गलती से 10 प्रतिशत से अधिक पौधे नष्ट हो जाते हैं तो उस माह के संधारण का कोई भुगतान संवेदक को नहीं किया जावेगा। संवेदक द्वारा नष्ट हुए पौधों के स्थान पर उचित मौसम पर उतनी ही ऊंचाई एवं उसी प्रजाति के पौधे रोपित करने होंगे। तदुपरान्त कार्यप्रभारी द्वारा कार्य प्रमाणीकरण की रिपोर्ट के अनुसार ही भुगतान देय होगा।
11. मीडियन/ग्रीनबेल्ट/तिकोने/सर्किलों में साफ-सफाई का कार्य आवश्यकतानुसार नियमित रूप से करना होगा, जिसका अलग से कोई भुगतान देय नहीं होगा।
12. संवेदक को साइट पर लगे बड़े पेड़ों की आवश्यकतानुसार विशेष आकृति में साइट इंचार्ज के निर्देशानुसार ट्रीमिंग - पूनिंग करनी होगी, जिसका अलग से कोई भुगतान देय नहीं होगा।
13. निविदा में अलग-2 BSR Items की अलग-2 दरें किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं होगी एवं अलग-2 Item की अलग-2 दर अंकित करने पर निविदा को निरस्त कर दिया जावेगा। संवेदक द्वारा दी गई सशर्त निविदा बिना आकलन के निरस्त मानी जावेगी।
14. संवेदक द्वारा किये गये कार्य का इन्द्राज/प्रमाणीकरण कार्यप्रभारी द्वारा कार्य पंजिका में किया जायेगा एवं समय-समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा चैक किया जायेगा। कार्य में किसी प्रकार की कमी पाये जाने का इन्द्राज भी इसी पंजिका में होगा। कार्य का मासिक बिल भुगतान इन्ही इन्द्राजों के आधार पर होगा। विकास एवं संधारण कार्यों में कमी पाये जाने पर नहीं किये कार्यों की कटौति बिना टी.पी. काटकर बी.एस. आर. 2016 की दरों से दुगुनी दर से किया जावेगा।
15. संवेदक को एक वर्ष के संधारण के पश्चात (कार्य समाप्ति के अन्त में) कार्य प्रारम्भ के समय लगाये गये पौधों की संख्या वाहन एक्सीडेन्ट से, रोड विस्तार, भवन निर्माण, सीवर लाइन, विद्युत लाइन डालने आदि विकास कार्यों के दौरान नष्ट हुये पौधों की संख्या को कम करते हुये शेष बचे पौधों की सं. के अनुसार पौधे स्वस्थ एवं सही हालत में कार्य प्रभारी को चार्ज में संभलाने होंगे। इससे कम संख्या में पौधे चार्ज में संभलवाये जाने पर कम हुये पौधों की संख्यानुसार उनके विकास एवं संधारण पर किये गये खर्च की दुगुनी राशि संवेदक से वसूल की जावेगी।
16. जी शिडयूल में अंकित बी.एस.आर./नॉन बीएसआर के आईटमों की मात्रा में RTTP ACT 2012 & RTTP Rule 2013 के प्रावधानों तक कटौती एवं बढ़ोतरी की जा सकती है।
17. निविदा में बीएसआर दर से कम दर डालने वाले संवेदक को नियमानुसार देय कार्य सम्पादन प्रतिभूति के अतिरिक्त बीएसआर दर से कम दर की अंतर राशि की सम्पूर्ण कार्य सम्पादन प्रतिभूति, मूल रूप से कार्य सम्पादन प्रतिभूति के अनुसार ही कार्य की अवधि हेतु निर्धारित प्रारूपों यथा बैंक गारंटी/बैंक

12/15
 डॉ. कमला सिंह
 जन संरक्षक
 जयपुर विकास प्राधिकरण

- ड्राफ्ट/FDR/NSC आदि में देनी होगी। न्यूनतम दर वाले बोलीदाता की बोली स्वीकृत कर Letter of Acceptance जारी किया जायेगा और तत्समय ही BSR दर से कम दर की अंतर राशि की कार्य सम्पादन की प्रतिभूति को प्रस्तुत करने हेतु नियमानुसार निर्धारित समय दिया जावेगा। निर्धारित समय में यह कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराने पर RTPP ACT/RULES 2012 & 13 के अनुसार कार्यवाही कर प्रतिभूति जब्त की जायेगी। यदि संवेदक अनुबंध के अनुसार कार्य प्रारंभ नहीं कर पाता है या पूर्ण नहीं करता है तो उक्त BID Security के साथ-साथ उसकी कार्य सम्पादन प्रतिभूति की अंतर राशि दोनों ही जब्त कर ली जायेगी। कार्य सम्पादन प्रतिभूति की अंतर राशि भी मूल कार्य सम्पादन प्रतिभूति की शर्तों के अनुसार ही कार्य संतोषजनक पूर्ण होने पर लौटाई जावेगी।
18. संवेदक के द्वारा अनुबंध एवं निविदा की शर्तों का उल्लंघन अथवा निम्न गुणवत्ता के कार्य कराये जाने पर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के साथ बीएसआर दर से कम दर की अंतर की कार्य सम्पादन प्रतिभूति भी जब्त कर संवेदक को एक वर्ष के लिए टेण्डर में भाग लेने से डी-बार किया जा सकेगा।
 19. अघोहस्ताक्षरकर्ता को बिना कारण बताये निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
 20. उपरोक्त कार्यों के सम्बन्ध में उत्पन्न विवादों का न्याय क्षेत्राधिकार जयपुर होगा।
 21. उक्त निविदा की नियम एवं शर्तों में वर्णित किसी शब्द या वाक्य के निर्वचन से सम्बन्धित विवाद के सम्बन्ध में जयपुर विकास आयुक्त द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
 22. संवेदक कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना, श्रमिकों की सुरक्षा, न्यायिक विवाद, प्रोविडेंट फण्ड आदि के लिये श्रमिक अधिनियम अनुसार स्वयं जिम्मेदार होगा।
 23. भविष्य में उक्त मार्ग पर इस हेतु नियुक्त वास्तुकार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्लान अनुरूप नवीन विकास कार्य किये जाकर सौन्दर्यीकरण का कार्य किया जाना है, जिसके अनुसार जिस क्षेत्र में विकास कार्य किया जावेगा उसके अनुरूप उस क्षेत्र के संधारण कार्य को घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है।
 24. पौधा नष्ट होने पर संवेदक को उतनी ही ऊँचाई व उसी प्रजाति का पौधा अनुकूल मौसम में लगाना होगा, यदि नष्ट हुआ पौधा सात दिवस में नहीं बदला गया तो पौधे की कीमत सहित उस पौधे पर किया गया समस्त व्यय "जी" शिड्यूल की निर्धारित दर की दुगुनी दर से वसूल किया जावेगा।
 25. क्षेत्र में पेड़-पौधों के संधारण हेतु मीडियम, ग्रीनबेल्ट व रोड साइड में न्यूनतम तीन श्रमिक प्रति पांच किमी लंबाई में तथा तिकोने व सर्किल के लिए दो श्रमिक प्रति हेक्टर प्रतिदिन की दर से नियमित रूप से वर्दी पहनकर कार्य करेंगे, जिनका हाजरी रजिस्टर संधारण करना संवेदक के लिए अनिवार्य होगा। इससे कम श्रमिक पाये जाने पर प्रतिदिन प्रति श्रमिक 500 रु. की पेनल्टी लगाई जावेगी। श्रमिक अधिनियम के प्रावधानों की पालना की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संवेदक की होगी।
 26. संवेदक को प्रत्येक वर्ष वृक्ष प्रजाति के पेड़ों में (1500 एमएम या अधिक ऊँचाई के) 2 बार में 4 किलो (सितम्बर में 2 किलो व फरवरी में 2 किलो) गोबर की कम्पोस्ट खाद प्रति पौधा में वरिष्ठ उद्यानविज्ञ या प्राधिकरण के अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में डालनी होगी, इसके लिये कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी। निर्धारित समय पर निर्धारित मात्रा में खाद नहीं डालने पर पौधे पर अब तक किये गये व्यय की राशि की वसूली संवेदक से की जावेगी।

डॉ. कविता सिंह,
वन संरक्षक
जयपुर विकास मुम्हताज की शर्त :-

1. संवेदक को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक बिल प्रस्तुत करने होंगे इसके पश्चात बिल प्रस्तुत करने पर 5 प्रतिशत, अगले माह में प्रस्तुत करने पर 10 प्रतिशत, द्वितीय माह में प्रस्तुत करने पर 15 प्रतिशत राशि

पेनल्टी के रूप में काटी जावेगी तथा तीन माह पश्चात बिल प्रस्तुत किये जाने पर कोई भुगतान देय नहीं होगा।

2. मासिक भुगतान दैनिक विवरणिका कार्यप्रभारी/क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा भरी हुई एवं वरिष्ठ अधीक्षक उद्यान द्वारा समय-समय पर चैक की हुई प्रविष्टियों के आधार पर किया जायेगा।
3. संवेदक को भुगतान किये जाने वाले बिलों में CGST/GST, आयकर, बिक्री कर एवं अन्य राशि की कटौती सरकार द्वारा समय-2 पर जारी नियमों के अनुसार देय होगी।
4. जमा की गई Performance security राशि उक्त ठेके के सफलतापूर्वक समाप्त होने के 3 माह पश्चात आवश्यक समायोजन, कटौति होने पर समायोजन करते हुये तत्पश्चात लौटाई जावेगी।

वरिष्ठ उद्यान विज्ञ
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

संवेदक के हस्ताक्षर
संवेदक का नाम व
पूर्ण पता मय दूरभाष नम्बर

18/4/19

18

डॉ. कविता सिंह, IFS
वन संरक्षक
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

Jaipur Development Authority, Jaipur

G - Schedule

Name of Work:- Maintenance of Jawahar Circle outer ring and Bajri mandi roads area with 1 year maintenance.

BSR 2016

S.N	Particulars	Qty.	Unit	Rate	Amount
1	Supply of Vermi Compost including unloading & transportation at site.	15000	Per Kg.	5.00	75000.00
2	Preparation of different sized beds as directed.	6546	100 Sqm.	285.00	18656.10
3	Supply & planting of Petunia, Salvia, Sineresia & Gajenia, sweet william, penjy etc. seasonal flower plant of Pune verity. (Winter Season)	21750	Each	42.00	913500.00
4	Supply & planting of flowering plants (Cosmos, cockscomb, zinnia hybrid varieties) (Summer Season)	15000	Each	42.00	630000.00
5	Supply & plantation of Ground Covers including mortality replacement loading - unloading transportation and maintenance for 30 days after planting the plants				
	Rhoca spathacea	545.50	P. Sqm	220.00	120010.00
	Alternanthera amoena	545.50	P. Sqm	196.00	106918.00
6	Supply of different varieties of Bougainvillia having multibranching ht. 2.5 - 3 feet, crown dia 2 - 2.5 feet & stem girth 7 -10 cm.	50	Each	1000.00	50000.00
7	Red Fountain grass 2'-3'	500	Each	40.00	20000.00
8	Canna 2' ht	500	Each	25.00	12500.00
9	Preparing locally available Munja tufts, digging of pits and planting (includes local transportation more than 1 km.)	500	tuft	1.85	925.00
10	Supply & laying of carpet grass (Selection No. 1) including removal of old grass, levelling, cleaning, mixing of manure and one month maintenance up to first lawn mowing.	1000	Per sqm	225.00	225000.00
11	Preparation of soil including cleaning & removing of unwanted shrubs removal of stones & garbage.	43188	Per 100 Sqm.	95.00	41028.60
12	Maintenance of plants by the contractor including of pits/ bids watering preparation of Thavala hoeing weeding etc. & application of insecticides etc. & security if the plant during maintenance contractor has to replace same height plant at his own cost.	20268	Per plant per month	18.00	364824.00
13	Maintenance works in parks - - Includes - Watering in parks - Weeding & hoeing - Thavala preparation/ formation - Hedge/lawn cutting work - Seasonal flowering plants - Cleaning work etc.	25.68	Per Hect.per month	39390.00	1011535.20
Total					3589896.90

Tender percentage in figures ----- above/below

Tender percentage in words ----- above/below

Signature of the Contractor


Senior Horticulturist